

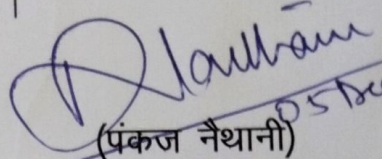
उत्तराखण्ड सरकार
अर्थ एवं संख्या निदेशालय, नियोजन विभाग
100/6 नैशविला रोड, देहरादून पिन नं० - 248001
दूरभाष / फ़ैक्स नं० 0135-2712604
वैब साईड-www.des.uk.gov.in
पत्रांक 664/1-स्था०कनि०सहायक/नियु०/2023
दिनांक: देहरादून 05, दिसम्बर 2023
कार्यालय आदेश / नियुक्ति पत्र

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्र संख्या 248/परीक्षा/2023 दिनांक 02-08-2023 द्वारा चयनोपरान्त निर्धारित वरीयता और संस्तुति संसूचित किये जाने के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों (कुल संख्या 4) को अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तराखण्ड में कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन लेवल-3 वेतनमान ₹ 21700-69100 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति करते हुए 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पर निम्न प्रकार तैनाती प्रदान की जाती है:-

क्रम संख्या	कार्मिक का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती का केन्द्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अखिलेश डंगवाल	पुत्र श्री चन्द्र दत्त डंगवाल, गली नं० 31 अमित ग्राम व पोस्ट आफिस-गुमानीवाला, तहसील-ऋषिकेश, जिला देहरादून	कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, पौड़ी गढ़वाल
2	श्री सतविन्दर सिंह	पुत्र श्री चन्दन सिंह, ग्राम व पोस्ट-सिवाई कर्णप्रयाग, जिला- चमोली।	कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, बागेश्वर
3	श्री श्रवण कुमार	पुत्र श्री पिरथी सिंह ग्राम- बहादरपुर जट्ट(हरिद्वार), तहसील- बहादरपुर जट्ट, जिला हरिद्वार।	कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, चम्पावत
4	कु० अल्का	पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम- राजपुर मुस्तफाबाद ऊर्फ गाधारौना, तहसील- रुड़की, जिला हरिद्वार।	कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, देहरादून

- उपरोक्त नियुक्त अभ्यर्थी नवीन पेंशन योजना से आच्छादित रहेंगे और उन्हें उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
- प्रतिबन्ध यह है कि सेवायें संतोषजनक न होने पर किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
- तैनाती केन्द्र पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

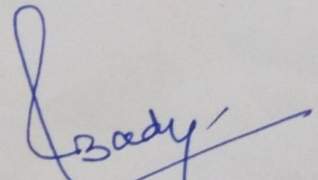
- 5 नियुक्त अभ्यर्थी प्रत्येक दशा में इस आदेश के जारी होने के 21 दिन के भीतर तैनाती केन्द्र पर कार्यभार ग्रहण करें, अन्यथा उक्त नियुक्ति आदेश निरस्त किये जा सकते हैं।
- 6 कार्यभार ग्रहण करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल रूप में तैनाती कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।


 (पंकज नैथानी)
 अपर निदेशक

पृ०प०सं० 1664 / 1-स्था०कनि०सहायक / नियु० / 2023 तददिनांक:

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्र संख्या 248/परीक्षा/2023 दिनांक 02-08-2023 के क्रम में।
- 2— संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूँ मण्डल हल्द्वानी।
- 3— संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या (स्था०), अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून।
- 4— संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, वेब इन्फॉर्मेशन अधिकारी, निदेशालय।
- 5— मुख्य / वरि० कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल / बागेश्वर / चम्पावत / देहरादून।
- 6— अर्थ एवं संख्याधिकारी, पौड़ी गढ़वाल / बागेश्वर / चम्पावत / देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कनिष्ठ सहायक पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जाँच मुख्यालय स्तर पर की जा चुकी है, परन्तु पारदर्शिता हेतु अपने स्तर से भी अभिलेखों की जाँच सुनिश्चित करें। चयनित अभ्यर्थी के अभिलेखों की एक प्रति संलग्न कर कार्यालय अभिलेखन हेतु प्रेषित की जा रही है।
- 7— सम्बन्धित कनिष्ठ सहायक (चयनित अभ्यर्थी)।
- 8— स्थापना / व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


 (डी०सी०बड़ोनी)
 संयुक्त निदेशक